

5. यह आदेश वित्त विभाग के आदेशादेश 11(NP)XXVII/2013-14 दिनांक 31 मई 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(मनीषा पवार)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: 909 /XXIV-3/13/02(58)2013 तदुद्दिनांक.

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मा० मंत्री जी, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून।
6. राज्य परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल उत्तराखण्ड।
11. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/बेसिक), उत्तराखण्ड द्वारा राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान।
12. शिक्षा अनुभाग-2,3,4 व अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन।
13. वित्त अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मनीषा पवार)
सचिव।

PRINCIPAL
A.U.G. C. CHAUNALIA
ALMORA (U.K.)

PRINCIPAL
A.U.G. C. CHAUNALIA
ALMORA (U.K.)

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग- 3

देहरादून: दिनांक 03/12/2013.

विषय: राज्य के शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा-9 से 12 तक के विद्यार्थियों से लिए जाने वाले शिक्षण शुल्क की दरों का पुनरीक्षण/वृद्धि किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या: बेसिक-5/9513/अकादमिक/43(1)2012-13 दिनांक: 14.12.2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या 380/XXIV-3/2005 दिनांक: 21.11.2005 द्वारा राज्य के बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा के अधीन विद्यालयों में कक्षा-6 से 12 तक अध्ययनरत छात्र/छात्राओं से लिए जाने वाली शुल्क की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई है। इस संबंध में मुझे पुनः यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश संख्या 380/XXIV-3/2005 दिनांक: 21.11.2005 में शुल्क की निर्धारित दरों को तत्काल प्रभाव से पुनरीक्षित करते हुए राज्य के शासकीय विद्यालयों में कक्षा: 9 से कक्षा-12 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों से वर्तमान में लिए जा रहे शिक्षण शुल्क की दर निम्नांकित तालिका के अनुसार वृद्धि करते हुए अध्ययनरत विद्यार्थियों से संशोधित दरों के अनुरूप शुल्क प्राप्त किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

" शिक्षण शुल्क "

वर्ग	कक्षा 9-10		कक्षा 11-12		अन्य विवरण
	वर्तमान शुल्क दर	संशोधित शुल्क दर	वर्तमान शुल्क दर	संशोधित शुल्क दर	
कला एवं वाणिज्य वर्ग	15.00	20.00	20.00	25.00	मासिक
विज्ञान वर्ग	15.00	20.00	25.00	30.00	मासिक

4. उपरोक्त शासनादेश दिनांक: 21नवम्बर, 2005 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय उक्त शासनादेश की अन्य सभी शर्तें/दरें पूर्ववत लागू रहेंगी।

PRINCIPAL
A.U.G.I.C. CHAUNALIA
ALMORA (U.K.)

शासनादेश संख्या: 380/XXIV-3/2005 दिनांक 21 नवम्बर, 2005

क्र.सं. 1	शुल्क का नाम 2	कक्षा 11-12 3		कक्षा 9-10 5		कक्षा 7-8 7		कक्षा 6 9		अन्य 11
		वर्तमान शुल्क की दर 3	संशोधित शुल्क की दर 4	वर्तमान शुल्क की दर 5	संशोधित शुल्क की दर 6	वर्तमान शुल्क की दर 7	संशोधित शुल्क की दर 8	वर्तमान शुल्क की दर 9	संशोधित शुल्क की दर 10	
1-	विद्यार्थी शुल्क									मासिक
	कला एवं वाणिज्य	20.00	20.00	15.00	15.00	-	-	-	-	मासिक
	विज्ञान वर्ग	25.00	25.00	15.00	15.00	-	-	-	-	मासिक
2-	विलम्ब दण्ड	0.10	-	0.10	-	0.10	-	0.10	-	मासिक
3-	अनुपस्थित दण्ड	0.10	-	0.10	-	0.10	-	0.10	-	मासिक
4-	मंडवार्थ शुल्क	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	-	1.00	-	मासिक
5-	विकास शुल्क	8.00	8.00	5.00	5.00	2.00	2.00	2.00	2.00	मासिक
6-	विज्ञान शुल्क	3.50	4.00	1.50	2.00	-	-	-	-	मासिक
7-	रहकास	0.15	1.00	0.15	1.00	0.10	1.00	0.10	1.00	मासिक
8-	टीडा	0.40	2.00	0.30	2.00	0.20	1.00	0.20	1.00	मासिक
9-	स्काउट गाइड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	1.00	0.30	1.00	मासिक
10-	प्रगति पत्र	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	वार्षिक
11-	पुरतकालय / सचिवालय	8.00	10.00	8.00	10.00	4.00	0.00	4.00	0.00	वार्षिक
12-	गृह परीक्षा	8.00	12.00	8.00	10.00	5.00	5.00	5.00	5.00	छमाही
13-	निर्धन छात्र निधि	1.00	3.00	1.00	3.00	0.10	2.00	0.10	2.00	छमाही
14-	जलपाय	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00	0.50	2.00	छमाही
15-	श्रव्य दृश्य	0.10	2.00	0.10	2.00	0.10	1.00	0.10	1.00	छमाही
16-	वाहन शुल्क छात्रों हेतु	1.00	5.00	1.00	5.00	1.00	5.00	1.00	5.00	मासिक
	अध्यापकों हेतु	15.00	50.00	-	-	-	-	-	-	मासिक
17-	विद्युत	1.50	2.00	1.50	2.00	1.50	0.00	1.50	0.00	छमाही
18-	पत्रिका	1.50	2.00	1.50	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	वार्षिक

PRINCIPAL
A.U.G.I.C. CHAUNALIA
ALMORA (U.K.)

(राजेंद्र सिंह)
उप सचिव